रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032025-261827
CG-DL-E-21032025-261827

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 2025/फाल्गुन 29, 1946
No. 83] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2025/PHALGUNA 29, 1946

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2025

फा. सं. अकादमी-14/17/2024-अकादमी.—जबकि पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है:

2. और जबकि, भारत में विभिन्न कला रूपों में कलाकारों का एक सुरक्षित, आधार-सत्यापित डेटाबेस बनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा आर्टिस्ट रिपोजिटरी पोर्टल शुरू किया गया है, जो एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से पहचान का सत्यापन सुनिश्चित करता है और सुरक्षा को बढ़ाता है।

3. और जबकि, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में केंद्र सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ परामर्श के बाद अपने दिनांक 25.07.2024 के पत्र संख्या 13(5)/2022-ईजी-II, के माध्यम से अनुरोधकर्ता निकाय संस्कृति मंत्रालय को अनुमति प्रदान की थी कि सुशासन के हित में, सार्वजनिक निधियों के अपव्यय की रोकथाम, नागरिकों के जीवन की सहूलियत बढ़ाने के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान)

नियमावली, 2020 के नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत निर्धारित उद्देश्यों के लिए सेवाओं तक उनकी बेहतर पहुंच संभव बनाने हेतु संस्कृति मंत्रालय को प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है और आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है और इसे आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के तहत अधिसूचित किया जा सकता है।

4. और जबकि, कलाकारों के पंजीकरण और पैनलबद्ध के प्रयोजन से कलाकारों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा, उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत निर्धारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा और उक्त उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण का कार्य स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा और यह भी कि संस्कृति मंत्रालय केवल उक्त प्रयोजन के लिए ही आधार प्रमाणीकरण करेगा।

5. अत: अब, इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में, केंद्र सरकार संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से एतद्द्वारा, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

क. मंत्रालय, इस अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार, आधार संख्या धारक के प्रमाणीकरण के उद्देश्य से इस संदर्भ में सहमति प्राप्त करेगा।

ख. उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर है, मंत्रालय आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य तरीकों के बारे में सूचित करेगा और आधार संख्या धारक द्वारा आधार प्रमाणीकरण से इनकार करने या ऐसा करने में असमर्थ होने पर उसे किसी भी सेवा से इनकार नहीं करेगा।

6. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

आमिता प्रसाद सरभाई, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2025

F.No. Akd-14/17/2024-Akad.—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

2. And whereas, the Artists Repository Portal has been launched by the Ministry of Culture to create a secure, Aadhaar-verified database of artists across various art forms in India, ensuring identity validation through an automated system and enhancing security.

3. And whereas, the Central Government in the Ministry of Electronics and Information Technology, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed *vide* its letter no. 13(5)/2022-EG-II, dated 25.07.2024, Ministry of Culture requesting entity in the interest of good governance, preventing leakage of public funds, promoting ease of living of residents and enabling better access to services by them for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 that the Ministry of Culture may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.

4. And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for verifying the identity of artists, for the purpose of artists registration and empanelment, using Yes/No and e-KYC authentication facility as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the Ministry of Culture shall perform the Aadhaar authentication only for the said purpose.

5. Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the Central Government through the Ministry of Culture hereby notifies the following, namely: —

a. The Ministry, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

b. As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis the Ministry shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication.

6. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

AMITA PRASAD SARABHAI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.03.21 19:48:07 +05'30'